पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दौहराते हुये बताया कि प्रार्थी की प्रार्थी के खातेदारी भूमि ख.न. 104 रकबा 0.43 हैक्ट. ग्राम दयाल की नांगल में कृषि कार्य हेतु आने जाने व साधन ले जाने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। मावण्डा मेहाड़ा मुख्य सड़क पर जाने के लिए ख.न. 103 रकबा 0.50 हैक्ट. में से ही न्यूनतम दुरी का एक मात्र रास्ता यही है प्रार्थी रास्ते की भूमि की डी.एल.सी की दौगुना राशि भी जमा करवाने हेतु तैयार है। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा भी न्यूनतम दूरी का वैकल्पिक रास्ता ख.न. 103 में ही प्रस्तावित किया है। प्रार्थी मौके पर इसी रास्ता का उपयोग कर रहा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें एवं तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम दयाल की नांगल के भूमि ख.न. 104 जाने हेतु ख.न. 103 में प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है। प्रार्थी द्वारा वर्तमान में इसी रास्ते से आवागमन किया जा रहा है। प्रस्तावित रास्ते को नक्शा ट्रेस में डोडेड लाईन से दर्शाया गया है। इससे पृथम दृष्टिवा यही प्रतीत होता है कि प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में कृषि कार्य हेतु आने जाने के लिए उक्त रास्ता अत्यांतक आवश्यक है जो वर्तमान में चालू भी है। अप्रार्थी ने भी कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की है तथा प्रार्थी अप्रार्थी की भूमि जो रास्ते में आ रही है उसके बदले बतौर प्रतिफल दौ गुना डी.एलसी के अनुसार राशि भी अदा कर रहा है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम मुताबिक प्रस्ताव तहसीलदार नीमकाथाना स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार नीमकाथाना का प्रस्ताव एनेक्चर–1, नक्शा ट्रेस एनेक्चर–2 आदेश का भाग रहेगा ग्राम दयाल का नांगल के खसरा नम्बर 103 में दर्शित रास्ते से ख0न0 104 में नक्शा ट्रेस में डोटेड लाईन मे दर्शाये गये रास्ते की भूमि की डी.एल.सी की दौगुना राशि अनुसार गणना कर, आवेदक से जमा कर राजकोष में जमा की जाकर एनेक्सर–1 एवं एनेक्सर–2 का राजस्व रिकार्ड में अमल किया जावें। निर्णय की पालना में तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी हो।

यह आदेश आज दिनांक 30.06.2023 को ... लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.28 14:56:09 IST
Reason: SelfAttested

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

To,

The Su...
Sub-di...
Distri...

Sir,

(1)- I/we am/are khate...
and I/we intend t...
largement or wid...
Nonapplicant for...
ing and I/we then...
of section 251-A...
1955) .

(2) The required p...
(i) Name, paren...
मैसर्स गणेश स्टो...
सीकर राजस्थान...
उम्र 32 वर्ष निवा...

(ii) Full ad...
गांव बां...

Scanned with OKEN Scanner